UPET110019612026

न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा

उपस्थितः विकास कुमार वर्मा, **(J.O.Code. 2225)** उ०प्र० न्यायिक सेवा

परिवाद संख्या–1905/2022

सुनीता देवी–––बनाम––––फकीरा

सुदामा देवी पत्नी फकीरा पुत्री प्यारेलाल
निवासी–इन्दरगढ थाना जलेसर जिला एटा।

–––परिवादिया––––

1–फकीरा पुत्र गोपाल प्रधान
निवासी–हसपुर जरानी कलां थाना सकरौली जिला एटा।

–––अभियुक्त––––

परिवाद सं०–1905/2022
अ०धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा
थाना–जलेसर जिला एटा।

–निर्णय–

अभियुक्त फकीरा का विचारण परिवादिया सुनीता देवी द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र के आधार पर अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा० के आधार पर किया गया है।

संक्षेप में परिवादी का परिवादपत्र में कथन है कि प्रार्थिया की शादी फकीरा पुत्र गोपाल प्रधान के साथ अरसा करीब पौने पांच वर्ष पूर्व हुयी थी। शादी के बाद प्रार्थिया के पति फकीरा, ससुर गोपाल प्रधान, सास माया देवी, ननद वैष्णों देवी प्रार्थिया को तंग व परेशान करने लगे तथा कहने लगे कि तेरे बाप पर लडकियां ही है उनके कोई लडका नहीं है तू उनकी जमीन हमारे नाम लिखवा दें। प्रार्थिया के मना करने पर उपरोक्त लोग प्रार्थिया के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने लगे। उपरोक्त लोगों ने प्रार्थिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से प्रार्थिया अपने मायके में रह रही है। दिनांक 16.05.2015 की घटना है दोपहर 2 बजे का सगय था। प्रार्थिया का पति फकीरा, ससुर गोपाल प्रधान, जालिम, विक्रम प्रधान, भीकम एक राय होकर एक सफेद गाडी में बैठकर प्रार्थिया के घर आ गये। आते ही उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर प्रार्थिया के घर में घुसकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दीं कि साली आज तुझे व तेरे बाप बाप को जिन्दा नहीं छोडेगें। उपरोक्त लोगों पर तमंचे व बंदूके थी। तभी गोपाल प्रधान व फकीरा ने प्रार्थिया की चुटिया पकड कर जे जाने लगे तभी प्रार्थिया की मां मीरा देवी व पिता प्यारेलाल ने

प्रार्थिया को बचाने की कोशिश की तो उपरोक्त लोगों ने उन्हें भी तमंचों व बंदूकों की बटों से मारापीटा। प्रार्थिया की चीख पुकार पर सोरन सिंह व उसके चाचा अशोक व गांव के बहुत से लोग आ गये। जिनके विरोध करने पर उपरोक्त लोग भविष्य में देख लेने व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

परिवादिया ने अपने परिवादपत्र के समर्थन में धारा–200 द०प्र०सं० के अन्तर्गत स्वयं को तथा धारा–202 द०प्र०सं० के अन्तर्गत **पी०डब्लू–1** के रूप में प्यारेलाल एवं **पी०डब्लू–2** सोरन सिंह को रूप में परीक्षित कराया। जाँच के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त फकीरा को धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा० के अन्तर्गत न्यायालय में आहूत किया गया।

अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने के उपरान्त धारा–244 द०प्र०सं० के अन्तर्गत **पी०डब्लू०–1** के रूप में सुनीता देवी **पी०डब्लू०–2** के रूप में प्यारेलाल को परीक्षित कराया गया है। अन्य किसी मी साक्षी को परिवादिया की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया। धारा–244 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त फकीरा के विरुद्ध धारा–323, 504, 506 भा०द०सं का आरोप दिनांक 17–02–2026 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया व विचारण की माँग की।

परिवादिया की ओर से **पी०डब्लू0–1** के रूप में स्वयं सुनीता देवी **पी०डब्लू0–2** प्यारेलाल को धारा–246 द०प्र०स० के रूप में परीक्षित कराया गया है। परिवादी की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित न कराये जाने के कारण साक्ष्य परिवादी समाप्त हुआ।

साक्ष्य परिवादिया समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का ब्यान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया।

न्यायालय के द्वारा परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

<u>–समीक्षा एवं निष्कर्ष–</u>

प्रश्नगत मामले का संक्षेप में कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिया की शादी फकीरा पुत्र गोपाल प्रधान के साथ अरसा करीब पौने पांच वर्ष पूर्व हुयी थी। शादी के बाद प्रार्थिया के पति फकीरा, ससुर गोपाल प्रधान, सास माया देवी, ननद वैष्णों देवी प्रार्थिया को तंग व परेशान करने लगे तथा कहने लगे कि तेरे बाप पर लडकियां ही है उनके कोई लडका नहीं है तू उनकी जमीन हमारे नाम लिखवा दें। प्रार्थिया के मना करने पर उपरोक्त लोग प्रार्थिया के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने लगे। उपरोक्त लोगों ने प्रार्थिया को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से प्रार्थिया अपने मायके में रह रही है। दिनांक 16.05.2015 की घटना है दोपहर 2 बजे का सगय था। प्रार्थिया का पति फकीरा, ससुर गोपाल प्रधान, जालिम, विक्रम प्रधान, भीकम एक राय होकर एक सफेद गाडी में बैठकर प्रार्थिया के घर आ गये। आते ही उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर प्रार्थिया के घर में

घुसकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दीं कि साली आज तुझे व तेरे बाप बाप को जिन्दा नहीं छोडेगें। उपरोक्त लोगों पर तमंचे व बंदूके थी। तभी गोपाल प्रधान व फकीरा ने प्रार्थिया की चुटिया पकड कर जे जाने लगे तभी प्रार्थिया की मां मीरा देवी व पिता प्यारेलाल ने प्रार्थिया को बचाने की कोशिश की तो उपरोक्त लोगों ने उन्हें भी तमंचों व बंदूकों की बटों से मारापीटा। प्रार्थिया की चीख पुकार पर सोरन सिंह व उसके चाचा अशोक व गांव के बहुत से लोग आ गये। जिनके विरोध करने पर उपरोक्त लोग भविष्य में देख लेने व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

परिवादिया की ओर से अपने उक्त कथानक को साबित करने के लिए स्वयं को बतौर **पी०डब्लू0–1** के रूप में सुनीता देवी **पी०डब्लू0–2** प्यारेलाल को परीक्षित कराया है। अन्य किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

पी०डब्लू०–1 सुनीता देवी जो प्रस्तुत मामले की परिवादिया है, ने अपनी साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 द०प्र०सं० में कथन किया है कि मेरी शादी फकीरा से करीब पन्द्रह साल पहले हुई थी। मेरे पति फकीरा मुझसे कहते थे कि तेरे पिता के पास लडकिया ही है। इसलिये अपने पिता की जमीन मेरे नाम करा दें। मैंने मना किया तो मारपीट कर घर से निकाल दिया तब से मैं अपने पिता के पास रह रही हूँ। आज से साढे दस साल पहले मेरे चाचा को ससुराल वाले आये फिर लडकी को भेजने व जमीन नाम कराने को कहा जिस पर कहा सुनी हुई तब मेरे पति फकीरा ने मुझे धक्का मार दिया मैं गिर गयी जिससे मुझे चोटें आयी। मेरे पिता मुझे थाने लेकर गये ना ही पुलिन ने मेरी रिपोर्ट लिखी और ना ही मेरी डाक्टरी करायी।

इस साक्षी ने अपनी जिरह अन्तर्गत धारा–**246 दं०प्र०सं०** में कथन किया है कि मेरी शादी फकीरा से करीब पन्द्रह वर्ष पूर्व हुई थी। मेरे पति व ससुराली वालों ने कभी भी मेरे पिता की जमीन अपने नाम कराने को नहीं कहा था और ना ही मेरे साथ मारपीट की थी और ना ही मुझे घर से निकाला था। मेरी ससुरालीजनों से कहा सुनी हो गयी थी। मैं गुस्से से अपने पिता के घर चली आयी थी। मैंने यह परिवाद लोगों के बहकावे में आकर दायर किया था। यह सही है कि गांव के चंद भले लोगों ने हमारा फैसला करा दिया है। हम पति पत्नी साथ–साथ रह रहे हैं। मैं इस मुकदमे में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ।

पी०डब्लू०–2 प्यारेलाल ने अपनी साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 द०प्र०सं० में कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री सुनीता की शादी फकीरा से करीब पन्द्रह साल पूर्व हुई थी। मेरी पुत्री से उसकी ससुराल वाले कहते थे कि अपने पिता की जमीन हमारे नाम पर करा दें मेरी पुत्री ने मना किया तो उसके पति ने उसे मारा पीटा व घर से निकाल दिया। मैं लडकी को लेकर थाने पर गया था पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी और ना ही उसकी चोटों की डाक्टरी करायी थी।

इस साक्षी ने अपनी जिरह अन्तर्गत धारा–**246 दं०प्र०सं०**में कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री की शादी पन्द्रह साल पूर्व फकीरा से की थी। मेरी पुत्री के ससुराल वालों ने कभी दहेज में जमीन लिखवाने की मांग नहीं की थी और ना ही उसके साथ कभी मारपीट की थी और ना ही उसे घर से निकाला था। मेरी पुत्री का उसके ससुराली जनों से कहासुनी हो गयी थी। लोगों के वहकावे में आकर मेरी पुत्री ने मुकदमा लिखा दिया था।

अब दोनों पति पत्नी साथ रह रहे हैं। दोनों का समझौता गांव वालों ने करा दिया है अब इस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ।

इस प्रकार परिवादिया द्वारा अपने कथानक को साबित करने हेतु स्वयं को परीक्षित कराया है। परिवादिया सुनीता देवी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–244 द०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है परंतु अपने बयान 246 द०प्र०सं० में कथन किया है किरी शादी फकीरा से करीब पन्द्रह वर्ष पूर्व हुई थी। मेरे पति व ससुराली वालों ने कभी भी मेरे पिता की जमीन अपने नाम कराने को नहीं कहा था और ना ही मेरे साथ मारपीट की थी और ना ही मुझे घर से निकाला था। मेरी ससुरालीजनों से कहा सुनी हो गयी थी। मैं गुस्से से अपने पिता के घर चली आयी थी। मैंने यह परिवाद लोगों के बहकावे में आकर दायर किया था। यह सही है कि गांव के चंद भले लोगों ने हमारा फैसला करा दिया है। हम पति पत्नी साथ–साथ रह रहे हैं। मैं इस मुकदमे में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ व पी०डब्लू २ प्यारेलाल ने अंतर्गत धारा 244 द०प्र०सं० में घटना का समर्थन किया है परंतु अपने बयान 246 द०प्र०सं० में कथन किया है कि मैंने अपनी पुत्री की शादी पन्द्रह साल पूर्व फकीरा से की थी। मेरी पुत्री के ससुराल वालों ने कभी दहेज में जमीन लिखवाने की मांग नहीं की थी और ना ही उसके साथ कभी मारपीट की थी और ना ही उसे घर से निकाला था। मेरी पुत्री का उसके ससुराली जनों से कहासुनी हो गयी थी। लोगों के वहकावे में आकर मेरी पुत्री ने मुकदमा लिखा दिया था। अब दोनों पति पत्नी साथ रह रहे हैं। दोनों का समझौता गांव वालों ने करा दिया है अब इस मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त अन्य किसी और गवाह को भी धारा 246 द०प्र०स० के अंतर्गत परीक्षित नहीं कराया गया है। परिवादिया द्वारा स्वयं अपने बयान में समझौता होने का कथन किया है। इस प्रकार परिवादिया अपने परिवादपत्र को साबित करने में पूर्णतः असफल रही है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है, तब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से सदहे से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्त पर नहीं होता है कि वे अपनी निर्दोषिता साबित करें।

उपरोक्त समस्त साक्ष्य विश्लेषण एवं मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त फकीरा पर धारा–323, 504, 506 भा०द०सं० के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। परिवादिया द्वारा स्वयं समझौता होने का कथन किया है। अतः अभियुक्त फकीरा को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समीक्षा एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का मत है कि परिवादिया, अभियुक्त फकीरा के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं० सं० को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहे हैं। तद्नुसार साक्ष्य के अभाव के कारण अभियुक्त संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

अभियुक्त फकीरा को परिवाद संख्या–1905/2022 थाना जलेसर, अं०धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं० जिला एटा में लगाये गये आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में 20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के एक–एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल करें।

(विकास कुमार वर्मा)

<u>दिनांक 31–03–2026</u>

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर एटा

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया।

(विकास कुमार वर्मा)

<u>दिनांक 31–03–2026</u>

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर एटा